संख्या- 201 / 2022 / 2579 / चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर, 2022

विषय:- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 200 /2022 / 2244 (1)/चार-2022 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 200 /2022 / 2244 (1)/चार-2022 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के प्रथम प्रस्तर में 'रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं' के स्थान पर 'रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं। ' पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या- 200 /2022 / 2244 (1)/चार-2022 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 201 /2022 / 2579 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in